


फर्द अहकाम

शिवलाल बनाम रामकुल (२०२५/२०५)

न्यायालय
संख्या

संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
		<p>तब तक कि आप पक्षों को जारी रखेंगे निश्चय से पाकर कि जा रहा है वे उक्त का उक्त भूमि की काउंटे गिरी तक कि मैं एवं मेरे की पछा निष्पत्ति का आप रावेंगे। पत्रावली के पत्र भुमार होकर काउंटे तब तक गठित करार हों।</p> <p style="text-align: right;">  उपखण्ड अधिकारी बस्सी जिला-जयपुर </p>	